This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect

NORTH

PROJECT

PROPOSED GROUP HOUSING-2 AT SECTOR-G, POCKET-5 SUSHANT GOLF CITY, HI-TECHTOWNSHIP, LUCKNOW.

NOTES:-
1. ALL FIRE CHECK DOORS ARE OF 2H RATING.
2. ALL FIRE HYDRANTS AND EQUIPMENTS ARE AS PER NORMS.
3. ALL FIRE EXTINGUISHERS ARE "IS-2190:2010".

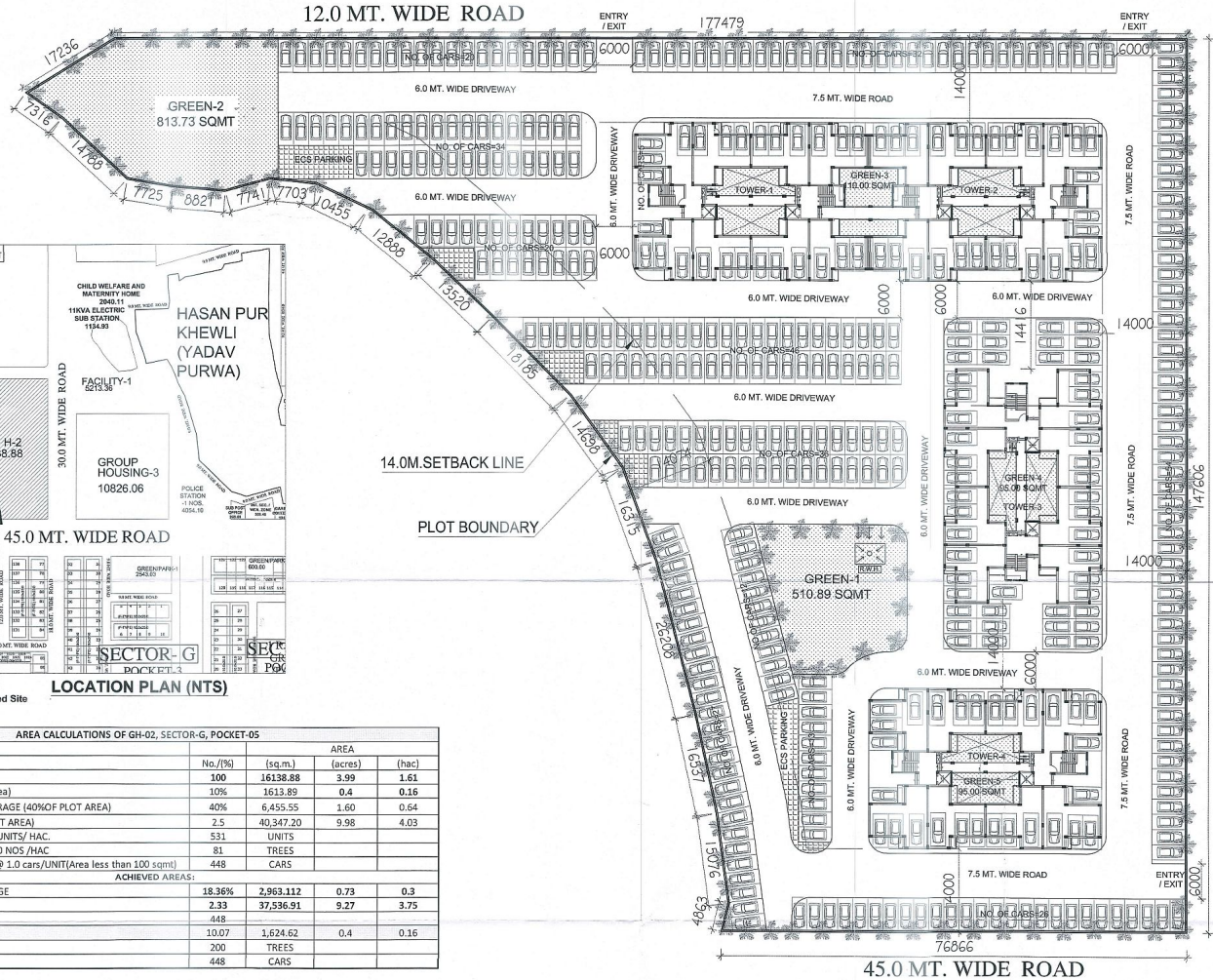

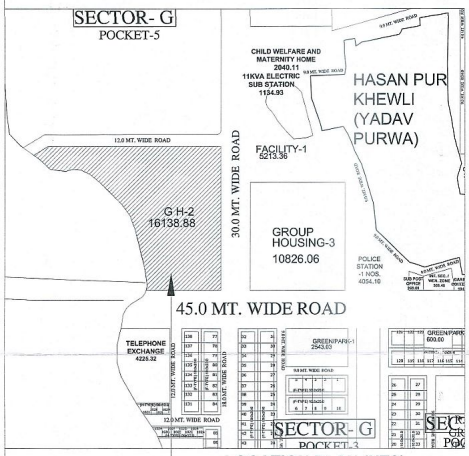

LOCATION PLAN (NTS)

Proposed Site

AREA CALCULATIONS OF GH-02, SECTOR-G, POCKET-05

SL. NO.		No./(%)	AREA (sq.m.)	(acres)	(hac)
1	PLOT AREA	100	16138.88	3.99	1.61
2	GREN AREA (@10% of Plot Area)	10%	1613.89	0.4	0.16
3	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE (40%OF PLOT AREA)	40%	6,455.55	1.60	0.64
4	PERMISSIBLE FAR (2.5 OF PLOT AREA)	2.5	40,347.20	9.98	4.03
5	PERMISSIBLE DENSITY @330 UNITS/ HAC.	531	UNITS		
6	REQUIRED NO. OF TREES@ 50 NOS /HAC	81	TREES		
7	REQUIRED NO. OF PARKING @ 1.0 cars/UNIT(Area less than 100 sqmt)	448	CARS		
	ACHIEVED AREAS:				
8	ACHIEVED GROUND COVERAGE	18.36%	2,963.112	0.73	0.3
9	ACHIEVED FAR	2.33	37,536.91	9.27	3.75
10	NO. OF UNITS PROVIDED	448			
11	PROVIDED GREEN	10.07	1,624.62	0.4	0.16
12	PROVIDED NO. OF TREES	200	TREES		
13	PROVIDED NO. OF PARKING	448	CARS		

AREA SCHEDULE OF GH-2, SECTOR-G, POCKET-5

BLOCK/TOWER		GROUND COVERAGE (SQ.MT.)	STILT PARKING AREA (SQ.MT.)	Floors (Area in Sq.Mtr) STILT	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th	14th	TOTAL FAR AREA (SQ.MT.)	Total No. of Flats	(No. of Parking @ 1.0 car/100sq.mt.)	AREA OF BALCONY (SQ.MT.)	Area of Fire Escape (SQ.MT.)	Mumty/ Machine room (SQ.MT.)	Total Area for Fees (SQ.MT.)
TOWER -1	AREA	740.778	623.376	98.643	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	9384.227		112	611	262.626	85.450	10342.98
	NO. OF FLATS				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		112					
TOWER -2	AREA	740.778	623.376	98.643	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	9384.227		112	611	262.626	85.450	10342.98
	NO. OF FLATS				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		112					
TOWER -3	AREA	740.778	623.376	98.643	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	9384.227		112	611	262.626	85.450	10342.98
	NO. OF FLATS				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		112					
TOWER -4	AREA	740.778	623.376	98.643	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	663.256	9384.227		112	611	262.626	85.450	10342.98
	NO. OF FLATS				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		112					
TOTAL		2963.112																	37536.91	448	448	2443	1050.50	341.80	41371.93

GREEN AREA CALCULATION

PROVIDED GREEN AREA

S. NO.	DESCRIPTION	AREA	UNIT
1	GREEN-1	510.89	SQM
2	GREEN-2	813.73	SQM
3	GREEN-3	110.00	SQM
4	GREEN-4	95.00	SQM
5	GREEN-5	95.00	SQM
TOTAL GREEN AREA		1,624.62	SQM

प्रतिबन्ध

1. भू-खण्डित तथा भूमि भार-विहार के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विवादास्पदों अंशत: पायी गयी भूमि पर विक्रय/निर्माण कार्य कार्य सम्पन्न, जिस भूमि का खण्डित व कब्जा विवादास्पदों कालकी के पास है। गृहस्थ के लिए सहायक भवन का स्वतन्त्र रूप कब्जे की भूमि पे अन्य की भूमि होने के कारण विवादास्पदों के पक्ष में नहीं है, उस पक्ष पर विवादास्पदों एवं उच्च कोई निर्माण या विक्रय कार्य नहीं करेगा एवं शर्त कि उस पक्ष का पुनर्वर्धन/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विवादास्पदों के पक्ष में न हो सके।
2. प्राधिकरण शासनादेश के क्रम में जैसा प्रावधित पाया के अनुसार कुबजोपयोग अनिवार्य होगा।
3. शासनादेश के अनुसार स्थान पर भूजल रिचार्ज विधि लगाना भूमिगतित करना हो। भूजलस्तर ब्लूप्रन्ट में दिखाये अनुसार पेयजल एवं ईमारतोंसहित आग दुर्घटनाओं/ आग दुर्घटनाओं के लिये इंजीनियरिंग विभाग से प्रमाणपत्र एवं ऐसे प्रावधान एवं उपकरण लगाने में पैर अथवा प्रस्तुत की है, जिसकी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रथम-पत्र दि:०७ 22.03.2016 के अनुसार आई.आई.टी. से पैर परमार प्रमुख करना होगा। अन्यथा की दशा में मानचित्र स्वत: निरस्त माना जायेगा।
4. सैप्टी प्लांट्रिंग पाया व प्रतिरोध प्लान के अनुसार स्थान पर ही विक्रय कार्य पूर्ण करने होंगे।
5. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के आदेशित पत्रांक नं0-31/एफ.एस.-2016 दिनांक 26.02.2016 के निर्देशों का पालन करना होगा।
6. पुर्वोत्त प्रावधान पत्र प्राप्त करना होगा।
7. पेयजल प्रशिक्षित एवं योग्य वीर विक्रय का स्थान पर अधिकारण शमनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
8. अग्निशिमन एक्ट-2016, तेहर एक्ट, मेहनत केटरी बोर्ड, रेरा का अनुपालन के साथ निर्माण स्थापत्य का । प्रतिस्थल लेबर सेस जमा कराया मुनिसिपल करना होगा।
9. स्थान पर शासीकरण कर से सैप्लाण्ड व्यक्तियों हेतु रैन का निर्माण एवं स्थायीसेस सुविधाओं का विकास करना होगा।
10. स्थान पर मानसिक स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट्ट लगाना होगा।
11. यदि कोई देयकारी त्रिकारी है तो प्राधिकरण द्वारा नहीं पायी पर अधिकाय पाय करना होगा।
12. यदि भविष्य में किसी कोई भाग स्थान में आती है कि विवादास्पदों द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्राधिकार का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वत: निरस्त माना जायेगा।
13. विवादास्पदों के प्रावेदन पत्र दिनांक 19.02.2016 में प्रतिलिखित मानचित्र विक्रय पालन विभाग की आवासीय परिसेवना से अधूरे तथ्य एवं निर्माण पूर्ण होने से पूर्व मानचित्र विक्रय पालन विभाग की आवासीय प्राधिकरण विभाग माना होगा।

प्रभा अधिकार प्राप्त क्षेत्र एवं पेरिफ्र ओर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की धारा 15 में उपबंधों एवं प्रदीप परि पहुंचा दिया जाता है कि विक्रय प्रतिमान भूमि विक्रय व्यक्तिगत के लिए विक्रय कार्य नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकारी
स्वीकृत
प्रस्तावित संख्या 41781
दिनांक 22-12-2017
स्वीकृत की संख्या दि० 21-12-2022
अधिशासी अभियन्ता
विकास क्षेत्र, लखनऊ

Submission Drg.

DRAWING TITLE

SITE PLAN

DEALT BY	CHECKED BY
SCALE: AS SHOWN	DATE: October-2017

यह मानचित्र लखनऊ महायोजना 2021 तथा भवन उपविधि 2008 तथा सक्षिप्त शासनादेशों के अनुरूप तैयार किया गया है।

ARCHITECT	CLIENT/ OWNERS
TEAM ARCHITECTURE	ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LTD. 115, ANSAL BHAWAN, 16, K.G. MARG, NEW DELHI - 110001.

Architect Sandeep Seth B. Arch. CA/94/17834

ARCHITECT'S SIGNATURE

OWNER'S SIGNATURE

Revision No: R1

DRG.NO-API/HI-TECH/GH-02/SEC-G/SUB/SITE-01/04